

अध्याय II

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या बजट में अन्तर्निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तव में किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन वर्ष के लिए दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और क्या प्रभारित विनियोगों को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक संभव हो यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2018-19 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है:

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	कुल प्रावधानों की तुलना में बचतों का प्रतिशत	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7 (6/4*100)	8	9 (8/6*100)	
दत्तमत	I-राजस्व	1,51,149.64	9,712.16	1,60,861.80	1,48,485.32	(-) 12,376.48	7.69	11,467.66	92.7
	II-पूँजीगत	27,246.07	915.17	28,161.24	21,340.12	(-) 6,821.12	24.22	6,672.27	97.8
	III-कर्ज तथा उधार	580.31	559.44	1,139.75	1,113.09	(-) 26.66**	2.34	121.36	
आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग दत्तमत	1,78,976.02	11,186.77	1,90,162.79	1,70,938.53	19,224.26	10.11	18,261.29	95.0	
प्रभारित	IV-राजस्व	21,621.41	371.87	21,993.28	21,920.42	(-) 72.86	0.33	63.73	87.5

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	कुल प्रावधानों की तुलना में बचतों का प्रतिशत	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (6/4*100)	8	9 (8/6*100)
V-पूँजीगत	- ¹	2.53	2.53	2.52	(-) 0.01	-	0.01	100
VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	16,835.70	84.02	16,919.72	16,914.80	(-) 4.92	-	4.92	100
योग प्रभारित	38,457.11	458.42	38,915.53	38,837.74	77.79	0.20	68.66	88.3
कुल योग	2,17,433.13	11,645.19	2,29,078.32	2,09,776.27*	19,302.05	8.43	18,329.95	95.0

* वास्तविक व्यय के आँकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित है (राजस्व: ₹ 3,632.55 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 1,704.44 करोड़, कुल: ₹ 5,336.99 करोड़)

** मुख्यतः अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 37- कृषि तथा 47-पर्यटन के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य शीर्षों में पुनर्वियोजन के माध्यम से अतिरिक्त निधियों से बचत प्रतिसादित होने के कारण कर्ज एवं अग्रिम में अभ्यर्पण की तुलना में कम बचत दर्शित हुई।

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान लिया गया ₹ 11,645.19 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग के स्तर तक भी नहीं आया। ₹ 19,302.05 करोड़ की समग्र बचतें राजस्व अनुभाग के 49 अनुदानों एवं 45 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग के 34 अनुदानों एवं चार विनियोगों में बचतों का परिणाम थी।

महालेखाकार, लेखा व हक राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों से 1,444 उप-शीर्षों में बचतों/आधिक्यों के अंतरों का स्पष्टीकरण मांगा गया। तथापि, 667 उप-शीर्षों (बचत: 555 तथा आधिक्य: 112) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2019)।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आधिक्य व्यय

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। राबनि के अनुच्छेद 24.1 यह भी यह प्रावधान करता है कि व्यय ना तो किसी प्रयोजन के लिए स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जायेगा और ना ही उन मदों पर जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, विवरण को अत्यधिक सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि आधिक्य और बचतों के गलत विवरणों से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है बल्कि अतिरिक्त

¹ केवल ₹ 8,000.

व्यय भी हो सकता है जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा।

चार अनुदानों के 16 मामलों में, अनुदानों के उप-शीर्षों में आधिक्य व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक रहा जोकि कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था (*परिशिष्ट 2.1*)। अनुदान में समग्र बचत होने के बावजूद भी, अनुदान के अन्दर पुर्नविनियोजन नहीं किया गया।

बजटीय आवंटन से अधिक होने वाला आधिक्य व्यय, बजटीय एवं व्यय नियंत्रणों में कमी को इंगित करता है।

2.3.2 व्यय का प्रवाह

व्यय की समान गति रखना सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाले माह में व्यय के प्रवाह को टाला जाना चाहिये।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय (₹ 2,04,439 करोड़) का 35.25 प्रतिशत (₹ 72,055 करोड़) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया। यद्यपि, यह भी ध्यान में आया कि कुल प्राप्तियों (₹ 1,90,898 करोड़) का 33.17 प्रतिशत (₹ 63,324 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में किये गये व्यय में गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 5.23 प्रतिशत (₹ 3,980 करोड़) की कमी हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 9 अनुदानों के अन्तर्गत 9 उप-शीर्षों में ₹ 2,566.16 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 45 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय (₹ 4,376.24 करोड़) का 58.6 प्रतिशत था। इसमें से, अकेले मार्च 2019 में ही ₹ 1,866.47 करोड़ (42.7 प्रतिशत) खर्च किये गये जैसा कि *परिशिष्ट 2.2* में वर्णित है।

मुख्य शीर्षों का विवरण, जिनमें ₹ 25 करोड़ से अधिक के व्यय तथा कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक, या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम माह के दौरान किया गया, को **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में व्यय के प्रवाह के मामलों

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2019 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	2059- लोक निर्माण कार्य	73.68*	77.60	105.32	38.65	52.46
2.	2075-विविध सामान्य सेवायें	538.79	536.91	99.65	536.13	99.51
3.	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2,054.00	1,692.71	82.41	1,081.17	52.64
4.	2404-डेयरी विकास	39.13	36.00	92.00	36.00	92.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2019 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
5.	2801-बिजली	21,203.73	14,086.50	66.43	13,844.09	65.29
6.	4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	132.01	132.01	100.00	132.00	99.99
7.	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,822.35	3,000.05	78.49	3,000.05	78.49
8.	4802-पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	146.80	146.80	100.00	146.80	100.00

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

* इस शीर्ष में वसूली के समायोजन के कारण वर्ष के अन्त में कम व्यय हुआ।

संयोगवश, निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा की गई कुल राशि ₹ 31,821.06 करोड़ में से, राशि ₹ 5,002.11 करोड़ (15.7 प्रतिशत) अकेले मार्च 2019 में हस्तांतरित की गई, जैसा कि **अनुच्छेद 3.5** में वर्णित किया गया है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की गयी राशि उत्तरोत्तर व्यय पर कम नियंत्रण को इंगित करता है।

सिफारिश 12:

विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति तथा अंतिम तिमाही/महीने के दौरान व्यय के एक समान प्रवाह पर निगरानी बनाए रख सकते हैं।

2.3.3 बचतें

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन से पर्याप्त बचतों के मामले ध्यान में आये, जो बजटीय प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न करते हैं।

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 19,302.05 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, 23 अनुदानों के मामलों में राशि ₹ 17,389.69 करोड़ (90 प्रतिशत) की बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की, रही जिनको **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

यह इंगित करता है कि विभागों तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इन अनुदानों के व्ययों के बजट अनुमान तैयार करते समय व्यय के अनुमानों से सम्बन्धित राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17,389.69 करोड़ की बचतें हुईं।

सिफारिश 13:

राज्य सरकार वास्तविक आवश्यकता अनुसार बजट तैयार कर सकती है तथा इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।

2.3.4 निरन्तर बचतें

गत तीन वर्षों के दौरान, 6 अनुदानों के 7 मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें 10.5 प्रतिशत से 55.5 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

निरन्तर बचतों के कारण मुख्यतः भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां नहीं/कम जारी किया जाना था। बचत के अन्य कारण कार्यों की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन या निष्पादित नहीं होना, ठेकेदारों को निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, पदों का रिक्त रहना आदि थे।

विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा विनियोग विधेयक में निधियों का आवश्यकता से अधिक निर्धारण एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण तथा पिछले वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्तियाँ पर्याप्त संवीक्षा के अभाव की परिचायक थी।

जन लेखा समिति ने अपने 86वें (मार्च 2016) तथा 153वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चिता की सिफारिश की थी। यद्यपि, इन सिफारिशों के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरन्तर बचतों के मामले लगातार जारी रहे।

गत तीन वर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचतों के आधार पर अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास में निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

2.3.4.1 अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

शहरी विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए (यूडीएच) जिम्मेदार है। यूडीएच विभाग शहरों के व्यवस्थित नियोजन एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख शासन सचिव विभाग के प्रमुख है।

वर्ष 2016-19 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचतों की समग्र स्थिति का विवरण **तालिका 2.3** में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.3: यूडीएच के अन्तर्गत बजट के समक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2016-17				2017-18				2018-19			
	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें (प्रतिशत)	अभ्यर्पण	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें (प्रतिशत)	अभ्यर्पण	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें (प्रतिशत)	अभ्यर्पण
राजस्व	4833.04*	4206.51	626.53 (12.96)	626.53	4984.89*	3881.28	1103.61 (22.14)	1103.61	5099.28*	4015.09	1084.19 (21.26)	873.60
पूँजीगत	1742.68*	959.45	783.23 (44.94)	767.44	1501.58*	950.74	550.84 (36.68)	531.81	1477.17*	1280.37	196.80 (13.32)	192.22
योग	6575.72	5165.96	1,409.76	1,393.97	6,486.47	4832.02	1,654.45	1,635.42	6,576.45	5,295.46	1,280.99	1,065.82

* वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-2019 के दौरान राजस्व भाग के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 809.25 करोड़, ₹ 547.64 करोड़, ₹ 467.82 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान तथा वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान पूँजीगत भाग के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000, ₹ 130.20 करोड़ तथा ₹ 1,000 के अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित है।

अनुदानों/अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गई है:

- वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 12.96 प्रतिशत से लेकर 22.14 प्रतिशत तक थी जबकि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान अनुदान के पूँजीगत भाग के अन्तर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 13.32 प्रतिशत से लेकर 44.94 प्रतिशत तक थी, जो कि निधियों के अधिक आंकलन का घोटक है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व भाग में, ₹ 1,084.19 करोड़ की अंतिम बचत में से राशि ₹ 210.59 करोड़ तथा पूँजीगत भाग में, ₹ 196.80 करोड़ की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4.58 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये गये। यह दर्शाता है कि मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजट नियंत्रण की कार्यवाही करने में विभाग विफल रहा।
- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, राजस्व भाग के अन्तर्गत आवंटित क्रमशः ₹ 547.64 करोड़ और ₹ 467.82 करोड़ का आवंटित अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया।

बचतों की उप-शीर्षवार स्थिति:

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि कुछ शीर्षों (विभिन्न उप योजनाओं पर) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बजट आवंटन के पर्याप्त हिस्से का अनुपयोजित रहना जैसाकि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है सम्बन्धित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-उपलब्धि को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि राबनि के पैरा 13.7 के प्रावधानों की अवहेलना कर गत वास्तविकों को ध्यान रखे बिना बजट आवंटन किये गये थे।

तालिका 2.4: उप शीर्षवार बचतों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 02- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 03- अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	6.80	0.00	6.80	100.00	कम्पनी द्वारा अंकेक्षित लेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं की गई।	कम्पनी द्वारा अंकेक्षित लेखों को प्रस्तुत नहीं करना विभागीय स्तर पर अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है।
		2017-18	5.87	0.00	5.87	100.00		
		2018-19	1.37	0.00	1.37	100.00		
2.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 03- ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसिलिटी 01-जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	5.40	0.00	5.40	100.00	ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसिलिटी प्रोजेक्ट (जीइएफ) के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना। भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति।	भारत सरकार से राशि कम/प्राप्त नहीं होना, विभागीय स्तर पर भारत सरकार से राशि का आवंटन करवाने में प्रयास की कमी को दर्शाता है। बजट तैयार करते समय राबनि के पैरा 13.7 का ध्यान नहीं रखा गया।
		2017-18	5.00	0.00	5.00	100.00		
		2018-19	5.50	3.65	1.85	33.64		
3.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 01- अजमेर स्मार्ट सिटी	2016-17	195.00	147.20	47.80	24.51	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	102.00	58.00	36.25		
		2018-19	140.80	0.00	140.80	100.00		
4.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 01- जयपुर स्मार्ट सिटी	2016-17	295.00	214.00	81.00	27.46	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	0.00	160.00	100.00		
		2018-19	176.00	0.00	176.00	100.00		
5.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 03-उदयपुर स्मार्ट सिटी	2016-17	295.00	214.00	81.00	27.46	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	0.00	160.00	100.00		
		2018-19	176.00	0.00	176.00	100.00		
6.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 04-कोटा स्मार्ट सिटी	2016-17	194.00	145.60	48.40	24.95	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	103.00	57.00	35.62		
		2018-19	141.40	0.00	141.40	100.00		
7.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03-किराया तथा अपीलीय प्राधिकरण 01- किराया प्राधिकरण-प्रतिबद्ध	2016-17	2.91	2.17	0.74	25.43	पदों के रिक्त रहने के कारण।	रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 (अ) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें बताया गया है कि रिक्त पदों के लिए प्रावधान नहीं बनाये जायेंगे।
		2017-18	2.54	1.81	0.73	28.74		
		2018-19	2.89	1.97	0.92	31.83		
8.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03- किराया तथा अपीलीय प्राधिकरण 02- किराया प्राधिकरण-प्रतिबद्ध	2016-17	1.32	1.06	0.26	19.70	पदों के रिक्त रहने के कारण।	रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 (अ) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें बताया गया है कि रिक्त पदों के लिए प्रावधान नहीं बनाये जायेंगे।
		2017-18	1.28	0.78	0.50	39.06		
		2018-19	1.55	1.07	0.48	30.97		

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

क. सं.	शीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
9.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 191- नगर निगम को सहायता 30- पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय 01- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	2016-17	10.99	3.43	7.56	68.79	भूमि विवाद एवं कोर्ट स्टे के कारण कम व्यय होना।	यह विभाग द्वारा उचित आयोजना में कमी को दर्शाता है। प्रस्ताव उचित आयोजना तथा व्यवहार्यता अध्ययन के साथ तैयार किये जाने चाहिये थे।
		2017-18	10.30	0.00	10.30	100.00		
		2018-19	11.33	0.00	11.33	100.00		
10.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 191- नगर निगम को सहायता 35- चौदहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान 02- चौदहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	2016-17	53.72	18.43	35.29	65.69	वर्ष 2016-17 में प्रावधान बनाते समय गणना में त्रुटि होने तथा वर्ष 2017-18 के दौरान निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं होना।	भारत सरकार से निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं होना, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंखाओं के अनुसार अनुदान की शर्तों को पूरा नहीं करना इंगित करता है।
		2017-18	57.23	0.00	57.23	100.00		
		2018-19	₹ 1000	0.00	₹ 1000	100.00		
11.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 191- नगर निगम को सहायता 39- प्रधानमंत्री आवास योजना 01- सबके लिए आवास (शहरी)	2016-17	159.09	17.63	141.46	88.92	भारत सरकार द्वारा निधियां सीधे ही योजना के समर्पित खाते में जारी किये जाने से भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त हुईं।	विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा बड़ी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं।
		2017-18	68.00	5.28	62.72	92.24		
		2018-19	48.09	0.12	47.97	99.75		
12.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 08- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 01-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	2016-17	93.10	60.58	32.52	34.93	वर्ष 2016-17 के दौरान गौरव पथ निर्माण के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी होना।	बड़ी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं। निर्धारित अवधि में निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण निधियां अवरोधित हुईं।
		2017-18	370.88	254.00	116.88	31.51		
		2018-19	311.34	110.98	200.36	64.35		
13.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 10- मास्टर प्लान एवं अन्य योजनाएं 01- नगर नियोजन विभाग के माध्यम से	2016-17	10.27	6.95	3.32	32.33	आयोजना सीमा में कटौती होना।	यह विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग में प्रणालीगत त्रुटियों को इंगित करता है तथा जो परियोजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	5.98	3.84	2.14	35.79		
		2018-19	5.15	2.46	2.69	52.23		
14.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास योजनाएं 050- भूमि 02- राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के माध्यम से छ: प्रमुख शहरों का विकास (ईएपी) निर्माण कार्य	2016-17	5.00	-3.84*	8.84	176.80	वर्ष 2016-19 के दौरान विभिन्न पैकेजों के प्रथम स्टेज से संबंधित केस वाणिज्यिक न्यायालय एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन होने से सम्पूर्ण निधियां अनुपयोजित रही।	राबनि के अनुसार, विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। बड़ी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं।
		2017-18	5.00	-1.00	6.00	120.00		
		2018-19	2.00	-0.98	2.98	149.00		

क. सं.	शीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
15.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास योजनाएं 050- भूमि 04- राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनिवेश कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	2016-17	375.00	106.10	268.90	71.71	कार्यों के आवंटन में देरी होना।	समय से निर्णय, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण द्वारा कार्य की प्रगति उचित स्तर तक सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है। निर्धारित समय में निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण निधियाँ अवरोधित रही। इसके अतिरिक्त, विलम्बित कार्यों पर लागत वृद्धि से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
		2017-18	450.00	219.20	230.80	51.29	कार्यों की धीमी प्रगति।	
		2018-19	495.00	244.85	250.15	50.54		
16.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 04- गंदी बस्तियों का सुधार 800-अन्य व्यय 04- स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	2016-17	131.61	29.72	101.89	77.42	प्रथम किशत की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार से द्वितीय किशत की प्राप्ति नहीं हुई।	पूंजीगत परियोजनाओं के प्रस्ताव उचित आयोजना के साथ एवं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। विभाग को संशोधित प्रस्ताव के साथ संबंधित प्राधिकारी से योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियाँ जारी करवाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये।
		2017-18	48.06	4.44	43.62	90.76	भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारण कुछ परियोजना से संबंधित कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके, अतः इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई।	
		2018-19	52.87	24.65	28.22	53.38		
17.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800- अन्य व्यय 02- शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आरओबी) 07- विभिन्न शहरी निकायों के लिए	2016-17	103.01	26.34	76.67	74.43	वर्ष 2016-19 में आरओबी कार्य के लिए भूमि की देरी से उपलब्ध/ नहीं होने के कारण कम व्यय हुआ।	पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव उचित आयोजना तथा व्यवहार्यता अध्ययन के साथ तैयार किये जाने चाहिये। उचित नियोजन द्वारा भूमि के देरी से आवंटन/ गैर-आवंटन से बचा जा सकता था।
		2017-18	48.07	41.72	6.35	13.21		
		2018-19	44.65	12.59	32.06	71.80		
18.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800- अन्य व्यय 01- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों आदि को सहायता 02- शहरी जन सहभागी योजना	2016-17	17.17	6.83	10.34	60.22	वर्ष 2016-19 में जन सहयोग की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित कलक्टर द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई।	विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। लगातार बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं।
		2017-18	17.03	8.11	8.92	52.38		
		2018-19	17.17	1.74	15.43	89.87		

* ऋणात्मक आंकड़ें वर्ष के दौरान प्राप्ति को इंगित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि:

- इस अनुदान में जयपुर, अजमेर, कोटा तथा उदयपुर की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यों के लिए राशि ₹ 2,253.20 करोड़ के प्रावधान शामिल है, यद्यपि, वर्ष 2016-19 के दौरान प्रावधानों के विरुद्ध मात्र राशि ₹ 925.80 करोड़ (41 प्रतिशत) व्यय की गयी। विभाग द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान के उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकने के कारण भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी नहीं की गई।
- वर्ष 2016-19 के दौरान, इस अनुदान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी के लिए आवास (शहरी) के लिए राशि ₹ 275.99 करोड़ का प्रावधान शामिल है, यद्यपि प्रावधान के विरुद्ध मात्र राशि ₹ 22.98 करोड़ (8.32 प्रतिशत) व्यय की गई।
- वर्ष 2016-19 के दौरान, इस अनुदान के अन्तर्गत राशि ₹ 32.59 करोड़ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित थी। यद्यपि, यह पाया गया कि योजना पर राशि ₹ 3.43 करोड़ (10.5 प्रतिशत) का व्यय किया गया। विभाग ने अवगत कराया कि भूमि विवाद एवं कोर्ट स्टे तथा वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाये जाने के कारण कम व्यय हुआ।

इस प्रकार, वर्ष 2016-19 के दौरान कुल बजट प्रावधान के समक्ष बचतों में निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई, जो कि विभाग द्वारा पर्याप्त संवीक्षा तथा व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण के बिना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण की सूचक थी। पूंजीगत परियोजनाओं पर कम व्यय यह भी दर्शाता है कि विभाग द्वारा प्रस्ताव बिना उचित नियोजन के तैयार किये गये।

अनुदान में प्रतीक (टोकन) प्रावधान

राबनि के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुरूप केवल महालेखाकार (लेखा व हक) की सहमति से नये उपशीर्ष, समूह शीर्ष, उद्देश्य शीर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। एक उपशीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो कि लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है तो उसे संबंधित विभाग की अनुदान की मांगों से हटा दिया जाना चाहिये।

अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान इस अनुदान के 101 कुल शीर्षों में से 63 (62.4 प्रतिशत) में प्रतिक प्रावधान किये गये थे, जो कि पुर्नविनियोजन के माध्यम से प्रावधान बढ़ाये बिना टोकन प्रावधान ही रहे तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में सभी शीर्षों के प्रतिक प्रावधान अभ्यर्पित कर दिये गये। टोकन प्रावधान के संबंध में, बजट शीर्ष के नियंत्रक अधिकारियों ने अवगत (जुलाई एवं अगस्त 2019) कराया कि कुछ मामलों में भविष्य में शीर्षों की आवश्यकता की प्रत्याशा में टोकन प्रावधान किये गये थे। तथापि, इन शीर्षों की आवश्यकता नहीं होने के कारण, आगामी वित्तीय वर्ष में टोकन प्रावधानों को शून्य कर दिया जायेगा।

जन लेखा समिति ने भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चिता की सिफारिश की थी। यद्यपि, इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरन्तर बचतों के मामले लगातार जारी रहे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का अनुच्छेद 24.2 प्रावधित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा पर व्यय करने की आवश्यकता होती है जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 15 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक, का ₹ 1,852.23 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया (परिशिष्ट 2.5)। इनमें से छः प्रकरणों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ नीचे तालिका 2.5 में दिये गये है।

तालिका 2.5: वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे मामलों जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
राजस्व-दत्तमत					
1	21- सड़कें एवं पुल	1,535.23	1,362.34	133.41	पेट्रोल तथा डीजल पर सैस से प्राप्त राशि को निधि में हस्तान्तरण करने हेतु तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के दौरान उत्सव और प्रदर्शियों पर व्यय हेतु।
2	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,631.46	4,015.09	467.82	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को निधियों के हस्तान्तरण हेतु।
3.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	12,473.80	12,032.40	258.83	भामाशाह योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बद्ध चयनित परिवारों को डिजिटल समावेशन के लिए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण अंशदान मिलान हेतु।
4.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	14,046.25	13,683.69	360.53	भामाशाह योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बद्ध चयनित परिवारों को डिजिटल समावेशन के लिए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने पर अंशदान मिलान हेतु।
पूँजीगत-दत्तमत					
5.	21- सड़कें एवं पुल	4,620.21	4,025.55	309.10	राज्य सड़क निधि से सड़कों के निर्माण हेतु।
6.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	588.51	561.67	100.72	स्कूलों के निर्माण के लिए नाबार्ड ऋण से निधि।

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि अनुदानों के लिए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में कमियों एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता को इंगित करता है। इसी प्रकार, इन उपशीर्षों में अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

राबनि के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य है, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या बचत निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो सकती है। पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुए और जिसके परिणामस्वरूप 77 उप-शीर्षों में ₹ 134.60 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 474 उप-शीर्षों में ₹ 969.42 करोड़ की अंतिम बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 43 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचतें रही (*परिशिष्ट 2.6*)। यहाँ 20 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, छः लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 17 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

यह इंगित करता है कि इनके पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का उचित आंकलन नहीं किया गया।

2.3.7 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिये। राबनि के प्रावधानों के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष के अन्त का इंतजार किये बिना तुरन्त सरकार को अभ्यर्पित कर दिया गया है, जब तक कि वे उसी अनुदान के तहत अन्य इकाइयों के आधिक्य को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

24 मामलों (18 अनुदानों) में, ₹ 10,151.35 करोड़ तक की एक करोड़ तथा अधिक की बचतों में से राशि ₹ 619.56 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये गये

(परिशिष्ट 2.7)। शीघ्र अभ्यर्पण अन्य क्षेत्रों में, जहां कमी है, संसाधनों का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

बचतों को अभ्यर्पित नहीं करना यह वास्तविक वित्तीय नियोजन/अनुश्रवण की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

विभाग द्वारा राशि ₹ 619.56 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं करने के कारण/स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2019) सूचित नहीं किये गये थे।

सिफारिश 14:

सभी प्रत्याशित बचतें समय पर अभ्यर्पित की जा सकती हैं जिससे निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

2.3.8 एक मुश्त प्रावधान

राबनि के अनुच्छेद 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, कुछ प्रकरणों में, जहाँ एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो तथा जहाँ एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, बजट टिप्पणी में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 21 अनुदानों के 123 प्रकरणों के अन्तर्गत (₹ 15 करोड़ से अधिक एवं बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक का अभ्यर्पण था), अनुमानों में ₹ 9,069.71 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया था। इनमें से, ₹ 6,960.31 करोड़ (76.7 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे जिन्हें वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.8)। इन प्रकरणों में एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

2.3.9 वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण

दो अनुदानों में, ₹ 1,164.20 करोड़ की बचतों/आधिक्यों के समक्ष ₹ 1,227.95 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 63.75 करोड़ से अधिक थी, जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6 : मामलें जहाँ अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क. सं.		अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1.	राजस्व दत्तमत	21 – सड़कें एवं पुल	306.30	312.67	6.37
2.		46 – सिंचाई	618.77	646.88	28.11
3.	पूंजीगत दत्तमत	46 – सिंचाई	239.13	268.40	29.27
		योग	1,164.20	1,227.95	63.75

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि विभाग मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विफल रहे।

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में विभागों ने कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 2019)।

2.3.10 योजना/शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

व्यय के अनुमानों में विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण होता है तथा इसमें शामिल व्ययों के विधानसभा से अनुमोदन के लिए सरकार द्वारा वार्षिक औपचारिक अनुरोध किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले तीन वर्षों में किये गये वास्तविक व्यय तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान भी ध्यान में रखे जाने चाहिये।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधान पूर्ण रूप से अनुपयोजित रहे। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक की कुल राशि ₹ 4,343.08 करोड़ 74 योजना/शीर्षों के अन्तर्गत अनुपयोजित रही। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है।

इसके अलावा, यह भी दर्शित हुआ कि गत 2 से 5 वर्षों में लगातार राबनि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का ध्यान रखे बिना प्रावधान तैयार किये गये थे तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये जा रहे थे। तालिका 2.7 में ऐसे कुछ मुख्य शीर्ष दिये गये हैं।

तालिका 2.7: योजना/शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-03 अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-	-	6.80	5.87	1.37
2.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2235-02-796-13-07 मिशन ग्राम्य शक्ति	2.50	2.50	2.50	2.50	1.44
3.		3425-01-796-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.05	1.33	3.75	3.19	3.31
4.		4225-02-796-16-04 बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना	-	4.00 में से 3.00	2.50	2.00	2.00
5.		4225-02-796-17-03 जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना	-	3.00 में से 2.00	2.50	2.00	2.00
6.		32- नागरिक आपूर्ति	5475-102-11-01 उपभोक्ता मामलें			1.00	1.00
7.	33- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति (महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से)	10.60	10.60	10.60	10.60	7.35
8.		4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय आवासीय भवन का निर्माण	-	40.65	40.65	7.00	8.00

क्र. सं.	अनुदान	शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
9.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454-02-203-01-07 स्टेट डाटा सेन्टर	-	15.07	15.07	5.07	6.46
10.		3454-02-203-01-13 स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे	-	-	2.77	1.01	1.05
11.		3454-02-203-01-29 नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (केपेसिटी बिल्डिंग)	1.74	1.74	2.27	1.14	1.22
12.	43- खनिज	4853-01-004-07-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें	-	-	16.00	1.20	5.00
13.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2235-02-789-01-06 मिशन ग्राम्य शक्ति	3.50	3.50	3.50	3.50	1.91
14.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.07	0.41	5.02	4.29	4.75
15.		4236-02-789-02 ऑनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रखरखाव मय क्रेच निर्माण आईसीडीएस मिशन मोड अन्तर्गत	2.57	2.57	2.58	7.20	7.50

राबनि के अनुसार, एक उपशीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो कि लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है तो उसे संबंधित विभाग की अनुदान की मांगों से हटा दिया जाना चाहिये।

यह दर्शाता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिये बजट प्रवाधान उचित आंकलन, वित्तीय आवश्यकता तथा विभागीय जरूरत के बिना तैयार किये गये।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा

एक विशेष अनुदान का विस्तृत विश्लेषण करने की दृष्टि से “अनुदान संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना” का चयन गत तीन वर्षों के बजटीय अनुमान के विरुद्ध व्यय के आधार पर किया गया है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत कई टिप्पणी बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के संबंध में प्राप्तियाँ, पुर्नविनियोजन/अभ्यर्पण के पश्चात आधिक्य व्यय, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं करना, निरन्तर बचतें तथा मुख्यमंत्री के पिछले बजट भाषण की योजनाओं की स्थिति से संबंधित है।

अनुदान संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) परियोजनायें शुरू करने तथा निरूपण करने की रणनीति, अनुसूचित जाति (एससी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को कम करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए है। अनुसूचित जाति की बड़ी संख्या वाले गाँवों में अनुसूचित जाति की आबादी एवं गाँवों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली क्षेत्र उन्मुख योजनाओं के परिव्यय को अनुसूचित जाति उपयोजना में शामिल किया जाना चाहिये। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक योजना

आवंटनों को जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) से अलग किया जाना चाहिये। अनुसूचित जाति उप योजना के लिए चिन्हित निधियाँ राज्य की कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिये। अनुसूचित जाति उप योजना के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल विभाग है।

वर्ष 2016-19 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचतों की समग्र स्थिति का विवरण तालिका 2.8 में है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2016-17				2017-18				2018-19			
	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचत (बचत प्रतिशत)	अभ्यर्पण	कुल (मूल + अनुपूरक)*	व्यय	बचत (बचत प्रतिशत)	अभ्यर्पण	कुल (मूल + अनुपूरक)*	व्यय	बचत (बचत प्रतिशत)	अभ्यर्पण
राजस्व	9,549.49	8,304.44	1,245.05 (13.04)	1,240.91	10,383.89	9,517.25	866.64 (8.35)	862.14	14,406.78	13,683.68	723.10 (5.02)	691.06
पूँजीगत	5,988.15	5,412.05	576.10 (9.62)	575.81	5,537.10	3,872.12	1,664.98 (30.07)	1,601.84	5,293.39	3,959.49	1,333.90 (25.20)	1,294.92
योग	15,537.64	13,716.49	1,821.15	1,816.72	15,920.99	13,389.37	2,531.62	2,463.98	19,700.17	17,643.17	2,057.00	1,985.98

* राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में क्रमशः ₹ 1,379.05 करोड़ एवं ₹ 360.53 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में ₹ 50.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा दर्शाती है कि:

- वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 5.02 प्रतिशत से 13.04 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान अनुदान के पूँजीगत भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 9.62 प्रतिशत से 30.07 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व अनुभाग में ₹ 723.10 करोड़ एवं पूँजीगत अनुभाग में ₹ 1,333.90 करोड़ की अंतिम बचतों में से, राजस्व भाग में राशि ₹ 32.04 करोड़ एवं पूँजीगत भाग में राशि ₹ 38.98 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई।

उल्लेखनीय बचतें

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 14,406.78 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 13,683.68 करोड़ व्यय करने के परिणामस्वरूप ₹ 723.10 करोड़ (5.02 प्रतिशत) की बचत रही। इसके अलावा, पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत भी ₹ 5,293.39 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3,959.49 करोड़ व्यय करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,333.90 करोड़ (25.2 प्रतिशत) की बचत हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 22 योजनाओं/कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 989.37 करोड़ (जहाँ बचतें ₹ 10 करोड़ या अधिक थी) की उल्लेखनीय बचतें योजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल अनुदान/विनियोग के 50 प्रतिशत से 99.8 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: ₹ 10 करोड़ या अधिक की उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम (2018-19)	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2217-80-191-39-02-सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप योजना	12.48	0.03	12.45	99.76
2.	2217-80-192-41-02-सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप योजना	36.55	0.08	36.47	99.78
3.	2211-789-03-03-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	19.75	9.00	10.75	54.43
4.	2401-789-02-05- प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई के रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	21.27	6.16	15.11	71.04
5.	2401-789-03-01-कृषि विभाग के माध्यम से	27.14	9.43	17.71	65.25
6.	2401-789-09-01-कृषि विभाग के माध्यम से	32.72	13.29	19.43	59.38
7.	2501-06-196-06-03-अनुदान	80.91	33.59	47.32	58.48
8.	2501-06-196-10-03-अनुदान	25.18	0.34	24.84	98.65
9.	2515-198-33-03-कार्यकलाप/गतिविधियाँ	490.36	245.18	245.18	50.00
10.	4210-01-789-01-90-निर्माण कार्य	49.52	23.00	26.52	53.55
11.	4210-02-789-01-90-निर्माण कार्य	32.54	13.61	18.93	58.17
12.	4210-03-789-01-01-चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, जयपुर	18.43	4.80	13.63	73.96
13.	4215-01-789-01-58-नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)	25.94	11.79	14.15	54.55
14.	4215-01-789-01-63- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	19.92	4.22	15.70	78.82
15.	4215-01-789-01-65-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय	43.35	15.31	28.04	64.68
16.	4215-01-789-02-46-चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम पार्ट-11 (शहरी)	18.90	1.95	16.95	89.68
17.	4215-01-789-02-58-बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)	36.00	0.99	35.01	97.25
18.	4515-789-04-01-जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	81.00	40.50	40.50	50.00
19.	4700-34-789-01-निर्माण कार्य	27.00	7.96	19.04	70.52
20.	4700-80-789-02-01- मरूस्थल क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजना	199.14	71.89	127.25	63.90
21.	4802-02-190-04-02-रिफायनरी (एससीएसपी)	233.00	70.00	163.00	69.96
22.	5054-03-789-03-लघु जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	47.52	6.13	41.39	87.10
	योग	1,578.62	589.25	989.37	

भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्त नहीं होना, पदों का रिक्त रहना, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान कम जारी करना/जारी नहीं होना, कार्यों की धीमी प्रगति, भूमि स्वामित्व विवाद, निधि की अनुपलब्धता, निविदा प्रक्रिया में देरी, कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, फर्म द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करना, बजट सीमा में कटौती तथा पिछले

वर्षों की निधि की उपलब्धता सहित विभिन्न कारण विभाग द्वारा बताये गये। उत्तर इस तथ्य के सूचक थे कि विभाग के पास वित्तीय योजनाओं के प्रावधानों तथा निष्पादन के समुचित आकलन की कमी थी।

लगातार बचतें

राज्य बजट नियमावली के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान बनाते समय गत तीन वर्षों में वास्तविक रूप से किये गये व्यय तथा वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखना चाहिये तथा व्यय के अनुमान यथा संभव सटीक होने चाहिए।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान यह देखा गया कि गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में लगातार बचतें थी। यहाँ ऐसे अनुदान थे जहाँ प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक था तथा इनमें गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बचतें देखी गयी। विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बचतें

शीर्ष का नाम	वर्ष	(₹ करोड़ में)			
		कुल (सू.+अ)	व्यय	बचत (-)/	बचत का प्रतिशत
2202-02-107-14 अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2016-17	12.00	6.39	-5.61	46.75
	2017-18	10.00	4.88	-5.12	51.20
	2018-19	8.00	2.94	-5.06	63.25
2217-80-191-39-02 सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिये उप योजना	2016-17	41.31	4.11	-37.20	90.05
	2017-18	18.00	5.53	-12.47	69.28
	2018-19	12.48	0.03	-12.45	99.76
2401-789-02-04 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2016-17	17.03	4.94	-12.09	70.99
	2017-18	10.67	7.78	-2.89	27.09
	2018-19	11.74	3.40	-8.34	71.04
2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई के रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	2016-17	36.61	4.23	-32.38	88.45
	2017-18	25.02	4.97	-20.05	80.14
	2018-19	21.27	6.16	-15.11	71.04
2401-789-03-01 कृषि विभाग के माध्यम से	2016-17	36.75	25.91	-10.84	29.50
	2017-18	41.18	11.84	-29.34	71.25
	2018-19	27.14	9.43	-17.71	65.25
2501-05-196-07-03 कार्यकलाप संबंधी (अनुसूचित जातियों के लिए)	2016-17	112.33	16.67	-95.66	85.16
	2017-18	96.16	65.85	-30.31	31.52
	2018-19	99.45	65.45	-34.00	34.19
4059-80-789-04 सामान्य निर्माण (भू-राजस्व)	2016-17	16.35	9.11	-7.24	44.28
	2017-18	21.06	5.54	-15.52	73.69
	2018-19	11.38	5.61	-5.77	50.70
4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	2016-17	29.25	5.25	-24.00	82.05
	2017-18	57.50	8.78	-48.72	84.73
	2018-19	32.54	13.61	-18.93	58.17
4210-03-789-01-03 चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर	2016-17	8.47	2.00	-6.47	76.39
	2017-18	14.96	6.49	-8.47	56.62
	2018-19	16.61	11.18	-5.43	32.69
4215-01-789-01-45 बीसलपुर-दूदू परियोजना चाकसू, फागी एवं बस्सी	2016-17	81.07	42.91	-38.16	47.07
	2017-18	43.43	23.94	-19.49	44.88
	2018-19	8.71	3.96	-4.75	54.54
4215-01-789-01-55 नर्मदा प्रोजेक्ट-कलस्टर (डीआर)	2016-17	5.56	1.39	-4.17	75.00
	2017-18	9.07	7.73	-1.34	14.77
	2018-19	16.15	10.76	-5.39	33.37
4215-01-789-01-58 नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)	2016-17	7.34	4.33	-3.01	41.01
	2017-18	10.72	6.32	-4.40	41.04
	2018-19	25.94	11.79	-14.15	54.55

शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू.+अ)	व्यय	बचत (-)/	बचत का प्रतिशत
4215-01-789-01-63 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	2016-17	25.85	8.70	-17.15	66.34
	2017-18	20.36	8.94	-11.42	56.09
	2018-19	19.92	4.22	-15.70	78.82
4217-03-789-07-01 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	2016-17	26.74	6.84	-19.90	74.42
	2017-18	12.48	5.09	-7.39	59.21
	2018-19	11.59	3.27	-8.32	71.79
4217-04-789-02 स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	2016-17	34.17	7.70	-26.47	77.47
	2017-18	12.48	2.00	-10.48	83.97
	2018-19	13.72	6.40	-7.32	53.35
4250-789-01-01 औजार एवं संयंत्र	2016-17	22.31	11.41	-10.90	48.86
	2017-18	12.52	4.31	-8.21	65.58
	2018-19	5.34	3.93	-1.41	26.40
4225-01-789-05 छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण	2016-17	14.63	0.79	-13.84	94.60
	2017-18	18.25	10.63	-7.62	41.75
	2018-19	15.17	6.22	-8.95	58.99
4401-789-04 किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण	2016-17	17.10	14.39	-2.71	15.85
	2017-18	16.10	4.39	-11.71	72.73
	2018-19	4.00	1.50	-2.50	62.50
4700-04-789-02-01 निर्माण कार्य	2016-17	11.41	7.78	-3.63	31.81
	2017-18	11.00	5.49	-5.51	50.09
	2018-19	12.10	4.34	-7.76	64.13
4853-01-789-02-01 खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	2016-17	11.00	0.99	-10.01	91.00
	2017-18	50.00	7.48	-42.52	85.04
	2018-19	55.00	29.50	-25.50	46.36
5054-03-789-03 लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	2016-17	10.26	5.84	-4.42	43.08
	2017-18	21.04	2.77	-18.27	86.83
	2018-19	47.52	6.13	-41.39	87.10
5054-04-789-12-01 ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	2016-17	21.65	7.53	-14.12	65.22
	2017-18	18.23	7.69	-10.54	57.82
	2018-19	22.12	12.67	-9.45	42.72

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बचतों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में धीमी प्रगति, निविदा प्रक्रिया में देरी, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों में देरी से प्राप्त/प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार से निधियों का देरी से प्राप्त होना/प्राप्त नहीं होना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं होना, कम मांग के बावजूद एससीएसपी श्रेणी के अन्तर्गत बजट का अनिवार्य रूप से आवंटन, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फर्म द्वारा कुछ वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करना तथा भूमि आवंटन में देरी होना/नहीं होना आदि कारणों को जिम्मेदार बताया।

लगातार बचतें यह दर्शाती हैं कि विभाग ने इन विकास कार्यों/ कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में अनुरूपता से बजटीय निधियों का उपयोग नहीं किया। यह अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, वित्तीय अनुश्रवण तथा व्यय पर कमजोर नियंत्रण को भी दर्शाता है।

विभिन्न योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

राज्य बजट नियमावली के अनुसार, व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिये। वर्ष 2018-19 के दौरान, अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के 10 मामलों में किये गये ₹ 255.61 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनुपयोजित रहे, जैसाकि तालिका 2.11 में दिये गये हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनुपयोजित प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम (2018-19)	योग	व्यय	बचत	बचतों का प्रतिशत
1.	2217-80-191-42-05- चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	11.63	0.00	11.63	100
2.	2217-80-192-39-02 – स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	18.57	0.00	18.57	100
3.	2217-80-192-46-05- चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	28.93	0.00	28.93	100
4.	2401-789-09-04- जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	14.96	0.00	14.96	100
5.	2851-789-26-01- ऋण पर ब्याज अनुदान	20.00	0.00	20.00	100
6.	2515-198-34-03- कार्यकलाप/गतिविधियाँ	61.84	0.00	61.84	100
7.	4215-01-789-01-19-बाड़मेर लिफ्ट कैनल जल प्रदाय परियोजना फेज-11	12.94	0.00	12.94	100
8.	4515-789-13-01-जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	22.34	0.00	22.34	100
9.	4202-01-789-07-01- सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य (आयोजना)	14.40	0.00	14.40	100
10.	4885-60-789-02-01- भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति	50.00	0.00	50.00	100
	योग	255.61		255.61	

विभाग द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा निधियों का सीधे हस्तान्तरण, पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निधियों की कम प्राप्ति तथा कार्यों की धीमी प्रगति सहित विभिन्न कारण बताये गये। यह दर्शाता है कि विभाग अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजना के लिए प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करने में विफल रहा तथा ये पूर्णरूपेण धारणाओं पर आधारित थे।

अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुसार, अनुपूरक अनुदान तब लिया जाना चाहिये जब वर्ष के दौरान व्यय करने के लिये मूल विनियोजन में स्वीकृत राशि अपर्याप्त पायी जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व अनुभाग में राशि ₹ 360.53 करोड़ का तथा पूंजीगत अनुभाग में राशि ₹ 50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवंटित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, संबंधित राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 723.10 करोड़ तथा ₹ 1,333.90 करोड़ की बचतों के मध्येनजर, राशि ₹ 360.53 करोड़ तथा ₹ 50 करोड़ के अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये। अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान का शीर्ष-वार विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान के कारण
2018-19					
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना 05-भामाशाह योजना 2014 01-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	26.18	300.00	259.46	66.72	भामाशाह योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों के डिजिटल समावेशन के लिए।
2017-18					
2202-सामान्य शिक्षा 01- प्रारम्भिक शिक्षा 111-सर्व शिक्षा अभियान 02- अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गांटी योजना)	779.85	918.00	952.47	745.38	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वेतन के भुगतान के लिए।
2505-ग्राम रोजगार 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम 196-जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों को सहायता 02-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 03-प्रधानमंत्री आवास योजना (अनुसूचित जाति) (आयोजना)	39.86	382.63	325.98	96.51	प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के कारण मैचिंग अंशदान हेतु।

आधिक्य व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, विनियोग लेखों की जाँच में यह पाया गया कि उक्त अनुदान के कुछ शीर्षों में आधिक्य व्यय हुआ जो कि राज्य बजट नियमावली के पैरा 8.5(5) के प्रावधानों के विरुद्ध था। शीर्षों का विस्तृत विवरण जहाँ आधिक्य ₹ एक लाख से ज्यादा एवं अधिक था, तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: प्रावधानों के विरुद्ध आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान*	अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोजन	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	4055-789-02-91- स्थापना व्यय के लिए प्रतिशतता प्रभार (2059)	1.14	1.14	**	0.05	0.05
2.	4055-789-02-92- औजार एवं संयंत्र के लिए प्रतिशतता प्रभार (2059)	0.28	0.28	***	0.01	0.01
3.	4055-789-02-93- सड़कें एवं पुल के लिए प्रतिशतता प्रभार (3054)	0.43	0.43	***	0.02	0.02
4.	4215-01-789-01-29-डींग जलपूर्ति योजना (केप्रयो)	5.51	-	5.51	7.37	1.86
5.	4215-01-789-01-42- गागरीन जलपूर्ति योजना (केप्रयो)	4.41	-	4.41	5.72	1.31

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान*	अभ्यर्पण/ पुनीविनियोजन	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
6.	4215-01-789-01-48 – चम्बल- भीलवाडा जलपूर्ति योजना (केप्रयो)	18.08	-	18.08	39.90	21.82
7.	4700-34-789-01 – निर्माण कार्य	27.00	20.04	6.96	7.96	1.00
8.	4700-40-789-01-01- निर्माण कार्य	7.20	1.82	5.38	5.40	0.02
9.	4701-69-789-01- निर्माण कार्य	9.90	-	9.90	10.23	0.33
10.	4702-789-02-01-लघु सिंचाई परियोजनायें	18.76	-	18.76	19.98	1.22
11.	4702-789-02-03- जल संचयन संरचना	10.39	-	10.39	10.55	0.16
12.	4702-789-02-04- आधुनिकीकरण/उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण	3.60	1.05	2.55	2.56	0.01
13.	4702-789-02-05- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	0.90	-	0.90	0.91	0.01
14.	4702-789-02-07- आधुनिकीकरण/उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण/नवीनीकरण	11.36	0.20	11.16	11.33	0.17
15.	4711-01-789-02-01 – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर (केप्रयो) के माध्यम से	2.39	-	2.39	3.85	1.46

* पुनीविनियोजन सहित, ** केवल ₹ 2,000, *** केवल ₹ 1,000

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा इन शीर्षों के अन्तर्गत बिना निधि उपलब्धता के व्यय किये गये।

बजटीय आवंटन से अधिक व्यय किया जाना बजटीय व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण तथा वित्तीय अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है।

निधि की उपलब्धता के बिना व्यय करना

विनियोग लेखों की जाँच में यह दर्शित हुआ कि दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पण के पश्चात व्यय किया गया। विवरण तालिका 2.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.14: निधि की उपलब्धता के बिना व्यय करना

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	प्रावधान	अभ्यर्पण	व्यय
4215-01-789-01-31 नर्मदा गुडामलानी जलापूर्ति योजना (केप्रयो)	₹ 1000*	₹ 1000*	0.65
4215-01-789-01-61 भीनमाल कस्बे तथा भीनमाल तहसील के 256 गांवों के लिए जलापूर्ति योजना	₹ 1000*	₹ 1000*	4.05

* वास्तविक आंकड़े

अन्य महत्वपूर्ण मामले:

- (i) लेखापरीक्षा के दौरान यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष '2851-786-26-01' में 'मुद्रा योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान' के लिये राशि ₹ 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में विभाग ने बताया (जुलाई 2019) कि विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई थी। वित्त विभाग के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया,

जो यह इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा प्रावधान आवश्यकता/ विभागीय प्रस्ताव के बिना ही बनाये गये थे।

- (ii) लेखापरीक्षा के दौरान यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष '4515-789-13-01' में 'गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना' के लिए राशि ₹ 22.34 करोड़ का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कोई राशि जारी नहीं की गई थी तथा सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि पिछले वर्ष की शेष राशि निजी निक्षेप खातों में पड़ी हुई थी। विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि 25 जिलों से प्राप्त सूचनानुसार इस योजना से संबंधित राशि ₹ 122.48 करोड़ निजी निक्षेप खातों में (1.4.2018 को शेष) पड़ी थी। इसलिए, इस वर्ष अतिरिक्त राशि जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। जो यह इंगित करता है कि योजना की प्रगति का आंकलन किये बिना प्रावधान बनाये गये।

अनुदान में टोकन प्रावधान

अनुदान की जाँच के दौरान यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2018-19 में, उक्त अनुदान के 870 कुल शीर्षों में से, 234 शीर्षों में टोकन प्रावधान किये गये थे, जो कि पुर्नविनियोजन के माध्यम से प्रावधान बढ़ाये बिना टोकन प्रावधान ही रहे तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में टोकन प्रावधान या तो अभ्यर्पित किये गये या बजट अंतिमीकरण समिति की बैठक के दौरान संशोधित अनुमानों में शून्य कर दिये गये।

पूर्व बजट भाषणों में योजनाओं की स्थिति

बजट भाषण तथा योजना की स्थिति का विवरण तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: बजट भाषण में घोषणायें तथा उन पर की गई अनुवर्तन कार्यवाही

क्र.सं	बजट भाषण की घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्तन कार्यवाही की स्थिति
1.	बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने घोषणा की कि ग्राम पंचायत जैसिधर जिला बाड़मेर में सत्र 2016-17 से एक अनुसूचित जाति के बालकों के लिए तथा एक सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय संचालित किया जायेगा, जिसके लिये राशि ₹ 4.44 करोड़ के अनुमानित व्यय का प्रावधान होगा।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) कि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण विद्यालयों का संचालन तीन वर्षों से भी अधिक अवधि के पश्चात भी प्रारम्भ नहीं हो सका।
2.	बजट भाषण 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ऐसे मेधावी बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से कम है, उनको निजी मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में एमबीबीएस एवं स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पृथक योजना लागू की जायेगी।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) कि योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्ताव/ फाईल चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं	बजट भाषण की घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्तन कार्यवाही की स्थिति
3.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए “भैरो सिंह शेखावत अन्तयोदय स्वरोजगार योजना” की घोषणा की। इस योजना में आगामी वर्ष में 50 हजार परिवारों को ₹ 50,000 तक ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना प्रतिभूति जमा के उपलब्ध करवाया जायेगा।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) कि योजना के कार्यान्वयन के लिए सहकारिता विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे तथा अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को भेजे गये थे। सहकारिता विभाग के स्तर से संशोधित निर्देशों का अनुमोदन नहीं होने के कारण योजना संचालित नहीं की जा सकी। वित्त विभाग के स्तर से योजना बंद की जा चुकी है।

2.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण म. अनियमिततायें

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक बिल (एसी) तैयार करके कुछ राशि निकालने के लिए नियंत्रक एवं वितरण अधिकारी अधिकृत होते हैं तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों (डीसी) (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) को कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नियम 220(1) एसी बिलों के आहरण में तीन माह के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है (सिवाय विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहाँ डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 जून 2019 को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 तक आहरित राशि ₹ 62.03 करोड़ के 167 एसी बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये। वर्ष-वार बकाया डीसी बिलों का विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में लंबन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डीसी बिल	डीसी बिलों की राशि
मार्च 2011 तक	7	2.93
2012-13	1	1.04
2014-15	3	2.47
2016-17	5	3.27
2017-18	10	34.81
2018-19	141	17.51
योग	167	62.03

स्रोत: वित्त लेखें एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा उपलब्ध सूचना।

तालिका 2.16 से स्पष्ट है कि, राशि ₹ 2.93 करोड़ के 7 बिल 11 से 30 वर्षों तक लंबित थे तथा राशि ₹ 41.59 करोड़ के 19 बिल 2 से 5 वर्षों तक लंबित थे।

ये बकाया डीसी बिल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (राशि ₹ 27.78 करोड़ के 8 एसी बिल); पुलिस विभाग (राशि ₹ 13.29 करोड़ के 17 एसी बिल); भू-राजस्व विभाग (राशि ₹ 3.12 करोड़ के 2 एसी बिल); निर्वाचन (राशि ₹ 2.27 करोड़ के 25 एसी बिल); सहायता विभाग (राशि ₹ 1.04 करोड़ का 1 एसी बिल) तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (राशि ₹ 7.62 करोड़ के 73 एसी बिल) से संबंधित है। जून 2019 तक की अवधि तक के लंबित एसी बिलों के साथ-साथ बकाया राशि का मुख्य शीर्ष वार विवरण **परिशिष्ट 2.10** में विस्तृत है।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान, 1,368 एसी बिलों (₹ 143.84 करोड़) में से राशि ₹ 7.02 करोड़ के 49 बिल (3.58 प्रतिशत) केवल मार्च 2019 माह में आहरित किये गये। पुलिस विभाग (राशि ₹ 5.20 करोड़ के 14 एसी बिल) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (राशि ₹ 1.21 करोड़ के 5 एसी बिल) द्वारा उल्लेखनीय राशि ₹ 6.41 करोड़ आहरित की गई।

(i) डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

यह भी दर्शित हुआ कि बकाया डीसी बिलों के 167 मामलों में से, 33 मामलों के एसी बिल 8 महीने से 30 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी असमायोजित थे, विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17: डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा विलम्ब के कारण दिये गये
1.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, अलवर	2245	813/19.03.2013	103.50	₹ 4,19,430 की गबन राशि का प्रस्तुतीकरण/जमा नहीं होना तथा राशि ₹ 11,30,400 के भुगतान के लिए विस्तृत दस्तावेज उपलब्ध न होना।
2.	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	2015	64/29.11.2018 73/02.12.2018	15.00 20.00	निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करना।
3.	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	2204	76/21.12.2018 77/21.12.2018	7.35 2.64	राज्य सरकार से अस्थायी यात्रा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना।
4.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	2051	299/06.10.2016	2.00	विभाग द्वारा विमुद्रीकरण नोटों को बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
			216/10.08.2018	6.91	विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
			260/30.08.2018	6.99	
			215/10.08.2018	7.82	
			194/06.08.2018	6.91	
195/06.08.2018	7.82				

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा विलम्ब के कारण दिये गये
5.	जिला कलक्टर, बीकानेर	2052	230/13.08.2018	70.00	संबंधित विभाग को डीसी बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, उदयपुर	2202	642/10.12.2018	1.03	समायोजन प्रक्रियाधीन है।
7.	प्राचार्य सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	4210 2210	1487/30.03.2018 1317/29.03.2017	2125.67 20.25	संबंधित कार्यालय द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
8.	4-राजस्थान एयर स्कवाड्रन, एनसीसी, जोधपुर	2204	40/07.06.2018	1.14	
9.	उप निदेशक (लेखे), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर	2055	283/6.1.2015 395/27.03.2015 396/27.03.2015 347/22.03.2017 367/29.03.2017 368/29.03.2017 422/28.03.2018 421/28.03.2018 348/09.02.2018 347/09.02.2018	57.00 180.50 9.60 41.00 25.00 239.00 6.00 66.50 83.50 161.50	खरीद की वस्तुओं में बदलाव की स्वीकृति राज्य सरकार से लंबित होने के कारण इन खरीद के डीसी बिल तैयार नहीं किये जा सके, जहाँ निधियों की कमी थी वहाँ अन्य खरीद में शेष बकाया राशि उपयोग की गई, एसटीसी द्वारा दोषपूर्ण बिलों का प्रस्तुतीकरण, कुछ मामलों में बजट की कमी तथा तकनीकी अयोग्यता के कारण आदेश नहीं दिया जा सका तथा पुनः निविदा की जानी थी। इसके अलावा, समायोजन के पश्चात राशि ₹ 61.17 लाख एसटीसी, नई दिल्ली के पास लंबित थी। यह दर्शित होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8(2) एवं नियम 220 की अनदेखी की गई तथा इन खरीद की तात्कालिक आवश्यकता के बिना बिल आहरित किये गये।
10.	प्राचार्य, डाइट, बीकानेर	2202	1989-1990	₹ 30,000	विभागों ने अवगत कराया कि अभिलेखों के अनुसार, बीकानेर,
11.	जिला परिषद, बांसवाडा	4202	66/13.06.1992	₹ 23,700	बांसवाडा तथा राजसमंद में एसी बिलों के माध्यम से यह राशि आहरित नहीं की गई।
12.	जिला परिषद, बांसवाडा	4202	59/27.02.1991	₹ 30,000	
13.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	2202	1996-1997	₹ 8,500	

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा विलम्ब के कारण दिये गये
14.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), कोटा	2202	30/30.05.1992	₹ 25,920	कोटा के संबंध में वसूली अभी तक लंबित है।
15.	सहायक निदेशक, डाइट, जालौर	2202	1990-1991	₹ 30,000	पुराने विभाग के दूसरे विभाग में विलय के कारण डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये जा सके। कोष एवं लेखा विभाग को इन एसी बिलों का पता लगाने तथा संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समायोजन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किये जाने आवश्यक है।
16.	राजस्व बोर्ड, अजमेर	2029	183/5.3.2008	292.18	निक्सी, नई दिल्ली से राशि ₹ 15.64 लाख की वसूली लंबित होने कारण डीसी बिल लंबित है। विभाग द्वारा वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। यह दर्शित होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8(2) एवं नियम 220 की अनदेखी की गई तथा इन खरीद की तात्कालिक आवश्यकता के बिना बिल आहरित किये गये।

विभाग द्वारा दिये गये कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना विभाग के साथ-साथ कोषालय में अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

समेकित निधि में कार्यात्मक लेखाशीर्ष के विरुद्ध एसी बिल के माध्यम से आहरित राशि का लेखांकन होता है। जब तक खाते आवंटित समय के भीतर व्यवस्थित नहीं हो जाते, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ जाता है।

(ii) डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 8(2) में निर्धारित किया गया है कि निधियों का आहरण तभी किया जाये जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान सक्षम अधिकारी से प्राधिकृत हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान डीसी बिलों की जाँच में डीसी बिलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण देरी ध्यान में आई, विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में बहुत देरी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत डीसी बिलों की संख्या	देरी की अवधि (माह में)	चालान द्वारा जमा कराई गई राशि (एसी बिल राशि)*	देरी के कारण
1.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, भरतपुर	1	115	6.51 (19.01)	एसी बिल के माध्यम से कनावर बांध, भगौरी बांध, महगावां बांध तथा खटनावली बांध के क्लोजिंग ऑफ ब्रीच के कार्य के लिए राशि ₹ 19.01 लाख (सितम्बर 2008) आहरित की गई थी। कार्य एक माह में पूर्ण होना था। तथापि, डीसी बिल प्रस्तुत (जुलाई 2018) करते समय चालान से राशि ₹ 6.51 लाख वापस जमा कराई गई। जो कि यह दर्शाता है कि बांधों से संबंधित मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों के लिए तत्काल भुगतान की आवश्यकता नहीं थी, जिसके बावजूद विभाग द्वारा एसी बिल के माध्यम से राशि आहरित की गई। 10 वर्षों बाद डीसी बिल प्रस्तुत करना दर्शाता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में एसी/डीसी बिलों से संबंधित नियमों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया।
2.	सहायक निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर	1	54	0	समय से डीसी बिलों के साथ वाउचर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण।
3.	प्राचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	5	7 से 45	2.58 (18.27) 15.90 (169.96)	टूटी मशीन के प्रतिस्थापन तथा आपूर्ति आदेश में देरी के कारण।
4.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, उदयपुर	3	3 से 18	2,330.68 (13,007.32) 56.06 (2,776.62) 112.08 (118.00)	प्रभावित किसानों को कृषि (आदान) अनुदान के भुगतान के लिए। कार्यालय द्वारा देरी के कारण सूचित नहीं किये गये।
5.	जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाईमाधोपुर	3	9 से 15	0.04 (0.30) 0.03 (1.00)	कर्मचारियों के मतदाता सूची तैयार करने में व्यवस्तता के कारण देरी।
6.	जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमंद	2	9 से 12	0	
7.	मुख्य नियंत्रक, एसएन चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	4	9	0	
8.	कमान्डेन्ट-7, राजस्थान एनसीसी, कोटा	3	7 से 8	0	

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत डीसी बिलों की संख्या	देरी की अवधि (माह में)	चालान द्वारा जमा कराई गई राशि (एसी बिल राशि)*	देरी के कारण
9.	अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर	3	6 से 8	0	राजकॉम्प द्वारा देरी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण।
10.	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैथून (कोटा)	1	7	0	कर्मचारियों के मतदाता सूची तैयार करने में व्यवस्तता के कारण देरी।
11.	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	2	33	0	
12.	उप निदेशक, आरडीसीसी, उदयपुर	1	18	0	
		29		2,523.88	

* कोष्ठक में दिये गये आंकड़े एसी बिल की आहरित राशि को दर्शाते हैं।

विस्तृत आकस्मिक बिलों का देरी से प्रस्तुतीकरण दर्शाता है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना राशि आहरित की गई। नियंत्रक अधिकारी/वितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जब तक तत्काल संवितरण की आवश्यकता ना हो एसी बिलों के माध्यम से कोई राशि आहरित नहीं की जाये।

चालान के माध्यम से जमा कराई गई महत्वपूर्ण राशि इंगित करती है कि निधियाँ बिना वास्तविक आवश्यकता के तथा कार्य की जरूरत के आंकलन के आहरित की गयी।

(iii) अन्य अनियमिततायें

सामान्य प्रकृति के कार्यों के लिए एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण

एसी बिलों की जाँच में पाया गया कि 'सिस्टम विकास तथा 3 वर्षों के रखरखाव लागत कार्य हेतु' राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को अग्रिम भुगतान के लिए ₹ 5.27 करोड़ की राशि खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर ने एसी बिल (12345/24.11.2017) के माध्यम से आहरित की। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने बताया (जुलाई 2019) कि कार्य रखरखाव से संबंधित है, इसलिये 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले राजकॉम्प द्वारा पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि चरण बद्ध कार्य के पूर्ण होने के पश्चात वेन्डर को भुगतान होना था। चूंकि, रखरखाव कार्य आकस्मिक प्रकृति का नहीं है, अतः एसी बिलों के माध्यम से अग्रिम भुगतान तथा निधि का आहरण को तर्कसंगत नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, यह भी ध्यान में आया कि कार्यालय के प्रमुख की वित्तीय शक्तियाँ एक समय में अधिकतम ₹ 75000 तक सीमित कर प्रत्यायोजित की गई है। इसलिये, उपर वर्णित एसी बिल प्रत्यायोजित शक्ति से अधिक के आहरित किये गये। डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से अधिक के मामलों को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया, लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है। वित्त विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभाग को पत्र जारी किये थे।

अग्रिमों का लिया जाना तथा उन्हें लेखाबद्ध नहीं करना, क्षय/दुर्विनियोजन/अपकरण आदि की सम्भावना को बढ़ाता है।

तथापि, राजस्थान में लंबित डीसी बिलों की स्थिति गत वर्षों की तुलना में बेहतर थी क्योंकि वर्ष 2013-14 में ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 लंबित डीसी बिल उल्लेखनीय राशि एवं संख्या के साथ गिरकर वर्ष 2018-19 में ₹ 62.03 करोड़ के 167 बिल रह गये, जो कि आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार को दर्शाता है